मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.gov.in E-mail : mdmandiboard@gmail.com Tel: 0755-2553429

ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र प्रणाली के प्रमुख बिन्दु :–

➢ ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र प्रणाली क्या है?

अनुज्ञापत्र – मध्यप्रदेश राज्य कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय उपरांत मण्डी फीस का भुगतान का एक मात्र प्रमाणिक दस्तावेज है और इसी के माध्यम से व्यापारियों द्वारा क्रय अधिसूचित कृषि उपज का प्रदेश के अंदर एवं बाहर परिवहन किया जाता है। इस व्यापक कार्य को सरल एवं सुगम बनाने की दृष्टि से कृषि उपज मण्डी समितियों में ई–अनुज्ञा पत्र प्रणाली लागू की गई है। इस नवीन आधुनिक प्रणाली के उपयोग से जहॉ एक ओर अनुज्ञापत्र का तत्काल सत्यापन होने से इसके दुरूपयोग की संभावना समाप्त होगी वहीं दूसरी ओर कृषि उपज विपणन गतिविधियों में भी तेजी आएगी।

➢ मैनुअल अनुज्ञा पत्र एवं ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र प्रणाली में क्या अंतर है?

मैनुअल अनुज्ञा पत्र प्रणाली –

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 19 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मण्डी फीस चुकाई गई कृषि उपज के निर्गमन के लिये प्ररुप–नो में मण्डी समिति द्वारा राज्य के अंदर के लिये मेनुअल अनुज्ञा पत्र क्रमशः चार रंग सफेद (मूल प्रति), हरी (विक्रेता प्रति), गुलाबी (वाहन चालक प्रति), पीली (अतिरिक्त/गंतव्य क्रेता प्रति) में चार प्रतियों में तैयार की जाती है जिसमें गुलाबी प्रति होलोग्राम युक्त होकर वाहन चालक के पास परिवहन हेतु उपलब्ध रहती है जो गंतव्य मण्डी कार्यालय में जमा की जाती है।

वहीं राज्य के बाहर के लिये गुलाबी (मूल प्रति), हरी (विक्रेता प्रति), सफेद (वाहन चालक प्रति), पीली (अतिरिक्त/गंतव्य क्रेता प्रति) में चार प्रतियों में तैयार की जाती है। जिसमें सफेद प्रति होलोग्राम युक्त होकर वाहन चालक के पास उपलब्ध रहती है। जो मण्डी की सीमा जांच चौकी पर जमा की जाती है।

ई–अनुज्ञा पत्र प्रणाली –

मेनुअल अनुज्ञा कार्य को सरल एवं सुगम बनाने की दृष्टि से कृषि उपज मण्डी समितियों में ई–अनुज्ञा पत्र प्रणाली लागू की गई है। इस नवीन आधुनिक प्रणाली के उपयोग से जहॉ एक ओर अनुज्ञापत्र का तत्काल सत्यापन होने से इसके दुरूपयोग की संभावना समाप्त होगी वहीं दूसरी ओर कृषि उपज विपणन गतिविधियों में तेजी आएगी।

ई–अनुज्ञा प्रणाली अंतर्गत मण्डी फीस चुकाई गई कृषि उपज के निर्गमन के लिये व्यापारी के द्वारा प्ररुप–10 में अनुज्ञा पत्र हेतु ऑनलाईन घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करने पर मण्डी

समिति द्वारा प्ररुप–9 में ई–अनुज्ञा पत्र जारी कर व्यापारी को प्रदान किया जा सकेगा। साथ ही ई–अनुज्ञा प्रणाली में इस सुविधा का भी समावेश किया गया है कि व्यापारी स्वयं प्ररुप–10 में घोषणा पत्र की ऑनलाईन प्रविष्टि कर स्वतः ही ई–अनुज्ञा जारी कर सकेंगे। ई–अनुज्ञा पत्र की सुरक्षा एवं सत्यापन की दृष्टि से इसमें बारकोड एवं क्यूआरकोड का समावेश किया गया है।

➢ ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र प्रणाली के मुख्य बिन्दु क्या हैं?

- प्रत्येक मण्डी में कम्प्यूटर अधोसंरचना एवं इंटरनेट सुविधा क्रियाशील है।
- कार्य संचालन के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात हैं।
- मण्डी से जारी हर ई–अनुज्ञा की जानकारी कम्प्यूटर/सर्वर में संधारित होगी।
- अनुज्ञा पत्र के त्वरित, सुरक्षित सत्यापन में एण्ड्राईड टेबलेट/फोन का उपयोग।
- अनुज्ञा पत्र सत्यापन एवं सुरक्षा में बारकोड एवं क्यूआरकोड का समावेश।
- मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को ई–अनुज्ञा प्रणाली का प्रशिक्षण।
- मण्डी, आंचलिक कार्यालयों एवं मण्डी बोर्ड मुख्यालय के मध्य कनेक्टिविटी की स्थापना।
- देश में मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जहॉ ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र के आधार पर कृषि उपज का सुरक्षित व्यवसाय संभव है।

➢ ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन प्रणाली से किसानों को क्या लाभ हैं?

- किसानों को कृषि उपज का त्वरित भुगतान अब और आसान।
- भुगतान पत्रक की प्रविष्टी होने से किसान को सही भुगतान की स्थिति ज्ञात हो सकेगी जिससे अप्रिय स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

➢ ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन प्रणाली से व्यापारियों को क्या लाभ हैं?

- ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र प्रणाली लागू होने से कृषि उपज का व्यापार और अधिक सहज एवं सरल हो जायेगा।
- व्यापारियों को पारदर्शी कार्य प्रणाली की सुविधा उपलब्ध होगी।
- ई–अनुज्ञा प्रणाली में व्यापारी प्ररुप–10 में घोषणा पत्र भरकर स्वयं प्ररुप–9 में ई–अनुज्ञा पत्र जारी करने की सुविधा प्राप्त होगी अर्थात यदि व्यापारी चाहे तो स्वयं अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान से ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र जारी कर सकेगा अर्थात व्यापारी को अब अनुज्ञा के लिये इंतेजार नहीं करना पड़ेगा।
- मेनुअल अनुज्ञा पत्र प्रणाली में एक से अधिक क्रेता व्यापारी के बीच वाणिज्यिक संव्यवहार नहीं हो सकने के कारण जहॉ परिवहन व्यय के साथ साथ अन्य कठिनाईयों का सामना व्यापारी को करना पड़ता था। वहीं ई–अनुज्ञा प्रणाली में विक्रेता व्यापारी द्वारा एक से

अधिक क्रेताओं के मध्यम वाणिज्यिक संव्यवहार किया जा सकेगा जिससे परिवहन व्यय में कमी आयेगी, समय की बचत होगी जिससे व्यापार में सुगमता होगी।

- ई–अनुज्ञा प्रणाली से व्यापारी वर्ग को वर्ष के अंत लेखा सत्यापन कराने के लिये मण्डी में बार–बार आना नहीं पड़ेगा क्योंकि हर दिन की क्रय–विक्रय की जानकारी ई–अनुज्ञा प्रणाली में पहले से दर्ज होने के कारण अनुज्ञप्ति क्रमांक/मान नंबर डालते ही स्क्रीन पर उपलब्ध होगी एवं प्रिंट आउट की सुविधा होगी अर्थात लेखा सत्यापन कार्य में आसानी होगी एवं समय की बचत होगी।

- व्यापारी पुरानी खरीदी पंजी के स्थान पर मण्डी में बिक्री प्रमाणक/बिलों के आधार खरीदी/विक्रय की जानकारी स्वयं के आई0डी0 पासवर्ड की मदद से सीधे सिस्टम में दर्ज कर सकेंगे। मण्डी कर्मचारी द्वारा इसका सत्यापन करते ही स्कंध (स्टॉक) स्वयं व्यापारी के खाते में स्वतः अपडेट हो जायेगा जिससे समय की बचत होगी।

- अधिकृत मण्डी कर्मचारियों के माध्यम से व्यापारिक कठिनाईयों का त्वरित निवारण की सुविधा प्राप्त होगी।

- व्यापारियों को क्रय–विक्रय संबंधी कागजी रख–रखाव से मुक्ति मिलेगी एवं अन्य पर निर्भरता कम होगी।

- व्यापारी अपनी दैनिक क्रय विक्रय की जानकारी के लिये अब पंजी यथा रजिस्टर संधारित करने की जरुरत नहीं पड़ेगी।

- एक क्लिक से व्यापारी अपनी क्रय–विक्रय की जानकारी कहीं पर भी और किसी भी समय देख सकेंगे एवं कृषि उपज का शेष स्कंध (स्टॉक) त्वरित रुप से ज्ञात कर सकेंगे।

- व्यापारीवार ई–अनुज्ञा पंजी स्वतः ही संधारित हो जावेगी जिससे पृथक से अनुज्ञा पंजी संधारण की आवश्यकता नहीं होगी जिससे समय की बचत होगी।

- ई–अनुज्ञा प्रणाली में कृषि उपज के अनुज्ञा पत्र प्राप्त वाहन में खराबी आने की स्थिति में व्यापारी को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था इस बात को दृष्टिगत रखते हुये ई–अनुज्ञा पत्र प्रणाली में आवश्यक संशोधन करते हुये वाहन क्रमांक परिवर्तन करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

- वाणिज्यिक संव्यवहार के अंतर्गत सौदा केन्सिल होने की स्थिति में ऐसे जारी हुये अनुज्ञा पत्र को पूर्णतः केन्सिल करने का प्रावधान किया गया है। यदि व्यापारी द्वारा उसी मण्डी क्षेत्र में अपनी कृषि उपज को अन्य किसी व्यापारी को पुनः विक्रय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ई–अनुज्ञा पत्र में गंतव्य क्रेता व्यापारी के नाम/फर्म में परिवर्तन किये जाने का समावेश भी किया गया है, जिससे व्यापारिक कठिनाई का समाधान हो सकेगा।

- व्यापारियों को दैनिक क्रय विक्रय, लेखा संबंधी जानकारी एवं रिपोर्ट जनरेट करने की एवं ई–अनुज्ञा पत्रों के मिलान की त्वरित सुविधा प्राप्त होगी जिससे अन्य स्त्रोंतो पर निर्भरता में कमी आयेगी।

➢ **ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन प्रणाली से मण्डी को क्या लाभ हैं?**

- ई–अनुज्ञा संबंधी संग्रहीत डाटा वेबसाईट पर अपलोड कर ऑनलाईन जानकारियॉ प्राप्त की जा सकेंगी।

- ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल क्रियान्वयन से विभिन्न प्रकार की सावधिक रिपोर्टस की प्राप्ती होगी जो मण्डी को मॉनिटरिंग एवं बेहतर प्रबंधन में सहायक होंगी।

- मण्डियों में उपज के दैनिक क्रय–विक्रय मूल्यों एवं सौदों की त्वरित उपलब्धता।

- अनुज्ञा पत्रों का त्वरित मिलान एवं सत्यापन संभव होगा।

- कृषि उपज के परिवहन में पूर्ण पारदर्शिता।

- पिछली तारीख में अनुज्ञा पत्र जारी नहीं हो सकेगें।

- ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र प्रणाली लागू होने से कृषि उपज का व्यापार और अधिक सहज एवं सरल हो जायेगा।

- मण्डी में पारदर्शी कार्य प्रणाली की सुविधा उपलब्ध होगी।

- मण्डी में एकल खिड़की के माध्यम से कठिनाईयों का त्वरित निवारण की सुविधा उपलब्ध होगी।

- कृषि उपज पर देय मण्डी शुल्क/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान किया गया अथवा नहीं की स्थिति मण्डी को तुरन्त ज्ञात होगी।

- बिना मण्डी शुल्क/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान किये कृषि उपज का विक्रय नहीं हो पायेगा।

- कृषि उपज पर देय मण्डी शुल्क का भुगतान किया गया अथवा नहीं की स्थिति तुरन्त ज्ञात होगी।

- जारी ई–अनुज्ञा पत्र को बिना सक्षम स्वीकृति के निरस्त एवं बदला नहीं जा सकेगा।

- राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर निर्गमित कृषि उपज का विवरण त्वरित रुप से प्राप्त हो जावेगा।

- ई–अनुज्ञा होने से अनुज्ञा का प्रमाणीकरण यथा सत्यापन कार्य त्वरित रुप से संभव हो सकेगा।

- राज्य के बाहर निर्गमित कृषि उपज की ई–अनुज्ञा सत्यापन हेतु अंतर्राज्यीय नाकों पर एण्ड्राईड टेबलेट/फोन एवं बारकोड एवं क्यूआरकोड के माध्यम से मण्डी द्वारा जारी ई–अनुज्ञा का त्वरित सत्यापन किया जा सकेगा।

- कृषकों एवं व्यापारियों में विश्वास, वे मण्डियों में क्रय–विक्रय के लिये अधिक आकर्षित होंगे।

➢ **ई अनुज्ञा प्रणाली अन्तर्गत सुरक्षा के उपायः–**

  - ई अनुज्ञा प्रणाली अन्तर्गत सुरक्षा की दृष्टि से सभी यूजर यथा उपयोगकर्ता अपने कम्प्यूटर सिस्टम का ब्राउजर अपडेटेड रखें।

  - ई अनुज्ञा प्रणाली परिचालन हेतु आपको प्रदाय किये यूजर आई डी एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखते हुये उसे किसी अन्य के साथ शेयर नहीं करें।

  - सभी यूजर यथा उपयोगकर्ता कम्प्यूटर सिस्टम पर ई अनुज्ञा प्रणाली संबंधी कार्य करने के उपरांत कम्प्यूटर सिस्टम छोड़ने से पूर्व अनिवार्य रुप से लॉग आउट करके ही प्रस्थान करेंगे।

➢ **अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)?**

01. मण्डी में ई–अनुज्ञा प्रणाली के क्रियान्वयन के लिये क्या सुविधायें उपलब्ध होना आवश्यक है।
उत्तर–मण्डी में कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू0पी0एस0, एण्ड्राईड टेबलेट, इंटरनेट सुविधा का क्रियाशील होना आवश्यक है।

02. **ई–अनुज्ञा कैसे जारी की जावेगी?**
उत्तर–पहले ई–अनुज्ञा उसके बाद मेंनुअल अनुज्ञा जारी होगी।

03. **क्या ई–अनुज्ञा पत्र कमांक को मेंनुअल अनुज्ञा के किस भाग में अंकित करना आवश्यक है।**
उत्तर–मेंनुअल अनुज्ञा के उपर्राध भाग पर।

04. क्या ई–अनुज्ञा प्रणाली पर कार्य करने के लिये व्यापारियों को आई0डी0 पासवर्ड दिये गये हैं?
उत्तर–जी हॉ, व्यापारी के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर कार्य के लिये आई0डी0 पासवर्ड एस0एम0एस0 के माध्यम से दिये गये हैं।

05. यदि व्यापारी अपना लॉगिन पासवर्ड भूल जाये तो क्या करेंगे?

उत्तर–व्यापारी ई–अनुज्ञा प्रणाली के फॉरगेट पासवर्ड के आपश्न यथा विकल्प को क्लिक कर नया पासवर्ड प्राप्त कर सकेंगे।

06. ई–अनुज्ञा प्रणाली में किस अवधि का पाक्षिकी विवरण दर्ज किया जाना है।
उत्तर–16 जून से 30 जून 2018 तक की अवधि की व्यापारीवार पाक्षिकी का विवरण दर्ज किया जाना है उसके पश्चात यह कार्य निरंतर रहेगा अर्थात 01 जुलाई से 15 जुलाई 2018 की अवधि की पाक्षिकी दर्ज की जावेगी।

07. ई–अनुज्ञा प्रणाली में दर्ज पाक्षिकी का सत्यापन किया जाना आवश्यक है।
उत्तर–जी हॉ, संबंधित मण्डी समिति द्वारा दर्ज पाक्षिकी का सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

08. व्यापारी के अंतिम स्कंध (स्टॉक) अंतिम पाक्षिकी तक का मण्डी शुल्क जमा कर लेने से क्या फायदा है?
उत्तर–ई–अनुज्ञा जारी करने में कठिनाई नहीं होगी।

09. राज्य के बाहर निर्गमित कृषि उपज की ई–अनुज्ञा सत्यापन का सत्यापन किस प्रकार किया जावेगा।
उत्तर–सीमा जांच चौकियों पर एण्ड्राईड टेबलेट/मोबाईल फोन पर बारकोड एवं क्यूआरकोड से राज्य के बाहर की जारी ई–अनुज्ञा का त्वरित सत्यापन किया जा सकेगा।

10. ई–अनुज्ञा प्रणाली से व्यापारी क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकता है?
उत्तर– व्यापारियों को दैनिक क्रय विक्रय, लेखा संबंधी जानकारी एवं रिपोर्ट जनरेट करने की एवं ई–अनुज्ञा पत्रों के मिलान की त्वरित सुविधा प्राप्त होगी।

11. क्या ई–अनुज्ञा प्रणाली से व्यापारीवार अनुज्ञा पंजी स्वतः संधारित होगी।
उत्तर– जी हॉ।

12. क्या मण्डी सचिव एवं कर्मियों को ई–अनुज्ञा प्रणाली पर कार्य का प्रशिक्षण दिया गया है?
उत्तर–जी हॉ।

13. क्या ई–अनुज्ञा प्रणाली क्रियान्वयन में व्यापारियों की कठिनाईयों के निवारण कैसे किया जावेगा।
उत्तर–जी हॉ। समस्त मण्डियों के सचिव को व्यापारियों की कठिनाईयों का त्वरित निवारण करने के निर्देश दिये गये हैं।

14. क्या ई–अनुज्ञा प्रणाली में कृषि उपज के अनुज्ञा पत्र प्राप्त वाहन में खराबी आने की स्थिति का निराकरण किया गया है?
उत्तर–जी हॉ, ई–अनुज्ञा पत्र प्रणाली में आवश्यक संशोधन करते हुये वाहन क्रमांक परिवर्तन करने का विकल्प दिया गया है।

–0–